विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित (Consolidated) दिशा–निर्देश–2016.

....

1. पृष्ठभूमिः–

1.1 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को वर्ष 1999– 2000 में आरम्भ किया गया है । यह योजना माननीय विधायकों को स्थानीय विकास के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ने की दृष्टि से भी आरम्भ की गई है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से विकास कार्यों के विकेन्द्रीकरण के उद्‌देश्य की पूर्ति से भी प्रेरित है ।

1.2 पिछले वर्षों के दौरान कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु समय–समय पर आंशिक रूप से स्पष्टीकरण/संशोधन जारी किए गए। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके दृष्टिगत, कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कुछ नई विकास योजनायों को इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित हेतु लिया गया है उनको भी इन दिशा–निर्देशों में शामिल किया गया है।

1.3 योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 1999–2000 में प्रति विधायक क्षेत्र 15 लाख रूपए की धनराशि प्रावधित की गई थी। प्रदेश के विकास को मध्यनजर रखते हुए समय–समय पर इस राशि को बढ़ाया गया तथा अब वर्ष 2016–17 से प्रति विधायक राशि को बढ़ाकर 1.00 करोड़ रूपये किया गया है । इस राशि में से 5.00 लाख रूपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र ''मुख्यमन्त्री ग्राम पथ योजना'' के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया है ।

1.4 इस योजना के संचालन व क्रियान्वयन से निम्न मुख्य उद्‌देश्यों की पूर्ति अपेक्षित है :–

क) सभी विधायकों को स्थानीय विकास के लिए समान धनराशि उपलब्ध करवाई जाए।

ख) सभी विधायक जिले में कहीं भी स्कीमों की संस्तुति कर सकते हैं तथा अपने चुनाव क्षेत्र में मध्यम अवधि की स्थानीय विकास योजनाएं निर्धारित कर सकेंगे तथा समान विकास भी सुनिश्चित कर सकेंगे ।[1]

ग) क्योंकि प्रक्रिया व स्कीमों का निर्धारण माननीय विधायक करेंगे, वे इनके कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग में भी अधिक रूचि लेंगे जिसके परिणाम स्वरूप सीमित वित्तीय साधनों का सामयिक व प्रभावी उपयोग हो पाएगा तथा लागत वृद्धि व धनराशि संचित होकर बैंक–खातों इत्यादि में नहीं पड़ी रहेगी।

---

[1] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)आरडीपी/5–12/05वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 25.4.2012 द्वारा संशोधित

घ) इस योजना के अधीन कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमों के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम सीमा नहीं रखी गई है।

2. संभावित विकास योजनाएँ जो विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा सकती है/नहीं की जा सकती हैंः

2.1 इस योजना के अधीन केवल ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने चाहिएं जोकि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पतियों के निर्माण में सहायक हों। इनमें निम्न प्रकार के विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए जा सकते हैंः–

1. विभिन्न पाठशालाओं में कमरों का निर्माण ।

2. आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण ।

3. हैंडपम्पों की स्थापना ।

4. ऐसे गाँवों के लिए मोटर योग्य अथवा जीप योग्य लिंक सड़कों का निर्माण जो पहले से सड़क से न जुड़े हुए हों ।

5. गाँवों में सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण जो कि गांव स्तर पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा सकें ।

6. स्वास्थ्य संस्थाओं में ऐसे उपकरणों का प्रावधान जो वहां पहले से विद्यमान न हों जैसे कि एक्सरे मशीनें, अल्ट्रासाऊंड मशीने, ई.सी. जी. मशीने इत्यादि ।

7. स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए एम्बूलैंस का क्रय बशर्ते कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए सम्बन्धित संस्था/ विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।[2]

8. ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों अथवा पुलियों का निर्माण, विभिन्न खड्डों, नदी–नालों इत्यादि पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए Foot Bridges का निर्माण ।

9. ग्रामीण रास्ते केवल पक्के concrete based or black topped तथा जिसमें दो पाहिया वाहन चल सकें के कार्यों के निर्माण हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को आबंटित धनराशि में से अधिकतम 15 प्रतिशत राशि ही स्वीकृत की जा सकती है।

10. छूटी हुई बस्तियों के लिए पेय जल योजनाएं जहां अतिरिक्त पाईप लगा कर सार्वजनिक नल लगाए जाने की आवश्यकता हो।

---

[2] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)आरडीपी/5–12/05 वीकेवीएनवाई दिनांक 27.8.2014 द्वारा संशोधित

11. स्थानीय स्तर की सिंचाई स्कीमें ।

12. पाठशालाओं में शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त बस अड्डा आदि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण भी करवाया जा सकता है ।[3]

13. दूर–दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतीकरण (LT Extensions).[4]

14. स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य ।[5]

15. पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण कार्य ।[6]

16. बस स्टैंड निर्माण व रख–रखाव ।[7]

17. सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि ।[8]

18. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख–रखाव।[9]
19. WiFi लगाने का प्रावधान (Non-recurring Expenditure)[10]

20. माननीय विधायक इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के साथ–साथ अन्य लोक कल्याणकारी योजनाऐं जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना, महिला मण्डलों को बर्तन तथा फर्नीचर क्रय करने हेतु अनुदान (अधिकतम 20,000/– रूपये प्रति महिला मण्डल) आदि को स्वीकृत करने हेतु आवश्यक अनुशंसा भी कर सकेंगे।[11]

---

[3] पत्र संख्याःपीएलजी (एफ)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 2.6.2000 द्वारा संशोधित

[4] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 4.11.2004 द्वारा संशोधित

[5] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 3.3.2005 द्वारा संशोधित

[6] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–12/05–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 25.4.2012 द्वारा संशोधित

[7] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)/आरडीपी/5–12/05–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 5.5.2015 द्वारा संशोधित

[8] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–12/05–वीकेवीएनवाई दिनांक 4.7.2015 द्वारा संशोधित

[9] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–1/16 वि.स.1–1/2013 दिनांक 18.4.2016 द्वारा संशोधित

[10] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–1/2016.17 वीकेवीएनवाई –गाईडलाईनस–2016 दिनांक 17.9. 2016 द्वारा संशोधित

[11] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)–आरडीपी/5–1/2016.17 वीकेवीएनवाई –गाईडलाईनस–2016 दिनांक 8.5. 2017

2.2. इस योजना के माध्यम से किसी प्रकार के भी आवर्ती राजस्व व्यय के लिए प्रावधान नहीं किए जाएंगें और न ही कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए कोई स्वीकृतियां मान्य होंगी ।

2.3. इस योजना के अधीन कोई भी ऐसी स्कीम अथवा परियोजना स्वीकृत नहीं की जाएगी जो निजि संस्थाओं को लाभान्वित करती हो । किसी भी धार्मिक संस्था के लिए इस योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की सहायता दी जानी मान्य नहीं होगी ।

2.4. इस स्कीम के अधीन जन–साधारण को सामुदायिक आधार पर लाभान्वित किए जाने वाली परिसम्पतियों के लिए ही स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी ।

3. योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्थाः–

3.1. इस योजना के अधीन विधायक अपने चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित उपरोक्त सूची में से किसी भी स्कीम अथवा कार्य की संस्तुतियां सम्बन्धित उपायुक्त को प्रेषित करेंगे तथा इन संस्तुतियों के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर जिला योजना कक्ष सुनिश्चित करेगा कि स्कीम अथवा कार्य की स्वीकृति जारी हो जाए । जहां भी आवश्यक होगा यह जिला योजना कक्ष का दायित्व रहेगा कि वे संस्तुतियों पर अनुमान बनवाने तथा उन पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें । सामान्यतः सभी स्कीमों का कार्यन्वयन या तो उपलब्ध सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा या फिर ग्राम पंचायतों / नगर पंचायतों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं को भी निम्न शर्तो के साथ शामिल किया जा सकता हैः–

1. स्वंयसेवी संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए ।

2. स्वंयसेवी संस्था का स्कीमों के निर्माण में अनुभव होना चाहिए।

3. स्वंयसेवी संस्था द्वारा किए गए कार्यो का विकास खण्डों में नियुक्त अभियन्ताओं द्वारा assessment के आधार पर धनराशि जारी की जाए ।

4. सभी जिलाधीश स्वंयसेवी संस्थाओं के चयन हेतु अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे । [12]

3.2. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पत्तियों में जिस भी समुदाय/विभाग/बोर्ड/नगरपालिका/नगर पंचायत की भूमि आती है तो यदि कार्यकारी अभिकरण आवश्यक समझे तो सम्बन्धित से यह शपथ पत्र लिया जाए कि उन्हें प्रस्तावित भूमि पर परिसम्पति निर्माण पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है और परिसम्पति हर प्रकार से सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगी तथा इसका स्वामित्व परियोजना कार्यान्वयन से पहले राज्य सरकार के नाम स्थानान्तरित होना आवश्यक है । विधायक

---

[12] 1से 4 पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)/आरडीपी/5–12/05–वि.क्षे.वि.नि.यो.–लूज दिनांक 28.1.2009 द्वारा संशोधित

क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले विकास कार्यों हेतु किसी भी प्रकार का मुआबजा देने का प्रावधान नही है ।[13]

3.3. माननीय विधायक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कीम अथवा कार्य के लिए पूरी की पूरी धनराशि एक ही बार में स्वीकृत की जाए । इस योजना के अधीन स्कीम अथवा कार्य स्वीकृत होने तथा उस पर पूरा वित्तीय प्रावधान किए जाने के पश्चात किसी प्रकार के दायित्व नहीं रहने चाहिएं और न ही भविष्य में कोई वित्तीय प्रावधान किए जाने की व्यवस्था होगी ।

3.4. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चालू निर्माणाधीन कार्य (Ongoing work) स्वीकृत धनराशि से पूर्ण नही होता है और कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग कार्यकारी अभिकरण द्वारा की जाती है, तो उस अवस्था में, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर, कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति, उपायुक्त द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित की गई धनराशि में से ही प्रदान की जा सकती है।

कार्यकारी अभिकरण द्वारा चालू निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण करने के लिए मांग की गई आधिक्य धनराशि का संशोधित अनुमान लागत प्राक्कलन तैयार करके मामला पूर्ण औचित्य सहित सम्बन्धित उपायुक्त को प्रस्तुत करना होगा।[14]

3.5. सभी स्कीमों के लिए पूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां एवं प्रशासनिक अनुमोदन देने का अधिकार सम्बन्धित उपायुक्तों को होगा । इन स्कीमों पर कोई विभागीय प्रभार नहीं लगाए जाएंगे तथा सभी स्वीकृत स्कीमों को स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के अन्दर पूरा करना होगा ।

3.6. जिला नियोजन कक्ष सभी स्वीकृत स्कीमों का विवरण रखेगा तथा सम्बन्धित उपायुक्त के माध्यम से कार्यान्वयन का सामयिक अनुश्रवण भी करेगा ताकि स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में बिना किसी लागत वृद्धि के सम्पूर्ण हों ।

3.7. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन प्रावधित धनराशि का निर्गम प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा ।

3.8. जहां इस योजना के अधीन स्वीकृत स्कीमों अथवा कार्यों का अनुश्रवण व सामयिक समीक्षा माननीय विधायकों द्वारा की जाएगी वहीं सम्बन्धित उपायुक्तों से प्रत्येक तिमाही के अन्त में स्वीकृत की गई स्कीमों, स्वीकृत राशियों, स्कीमवार व्यय विवरण तथा कार्यान्वयन की भौतिक स्थिति का विवरण योजना विभाग को प्रेषित किया जाएगा तथा इसके संकलन का दायित्व जिला योजना कक्ष का होगा ।

---

[13] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)1–2/99–2000–VKVNY-I दिनांक 9.12.2003 द्वारा संशोधित

[14] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)आरडीपीः5–1/2016–17–गाईडलाईन–2016 दिनांक 24.5.2017 द्वारा संशोधित

3.9. जिन स्कीमों के लिए किन्हीं अन्य चालू वार्षिक कार्यक्रमों में वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हों, उन स्कीमों के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

3.10. यदि किसी पूर्व विधायक द्वारा संस्तुतित कार्य को किसी कारणवश शुरू न किया जा सका हो तो उसके स्थान पर वर्तमान विधायक की अनुशंसा अनुसार नए कार्य हेतु अव्ययित धनराशि की स्वीकृति दी जा सकती है ।[15]

3.11. इस योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए यदि किन्ही कारणों से जिला प्रशासन उसी वित्तीय वर्ष में इस धनराशि को व्यय करने में असमर्थ रहता है तो वकाया धनराशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा।[16]

3.12. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अधीन धनराशि का प्रावधान मांग संख्या–15, मुख्य शीर्ष –5475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय 00–800–02–SOON State Schemes विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (योजना) Object Code–37 मुख्य निर्माण कार्य (योजना स्कीम) के अधीन किया जाएगा तथा व्यय भी इसी विवरण के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

3.13. किसी भी विवाद की स्थिति में अथवा किसी विशेष मुद्दे पर स्पष्टीकरण के बारे में योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

———————————————

[15] पत्र संख्या:PLG(F)-RDP/5-12/05-VKVNY-Dated 11.3.2015 द्वारा संशोधित

[16] पत्र संख्याः शून्य दिनांक 22.5.2004 द्वारा संशोधित

अति-आवश्यक

संख्याःपी.एल.जी.(एफ.)-आरडीपी/5-12/05-वि.क्षे.वि.नि.यो.
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।
(जिला किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति को छोड़कर)

दिनांक : शिमला-2, 25 अप्रैल, 2012.

विषयः- **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश ।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्याः पी.एल.जी.(एफ)-आरडीपी/1-1/2000-वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 14 मई, 2004 के द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पैरा संख्याः1.1(ख) व पैरा संख्याः 2.1 में निम्न संशोधन किया गया है :-

1. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत माननीय विधायक जिले में कहीं भी स्कीमों की संस्तुति कर सकते हैं ।

2. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सभी माननीय विधायक पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण कार्य की संस्तुति भी कर सकते हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

25/4/2012

(डॉ० एस०के० शाद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
फैक्स/दूरभाष-0177-2621698

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 25 अप्रैल, 2012.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय मन्त्री,हि0प्र0 ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
4. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....
....
5. प्रधान महालेखाकार(आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
6. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना)हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
7. निजी सचिव, सचिव (योजना एवं वित्त) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
8. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
9. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
10. उप सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
11. समस्त उप निदेशक, योजना विभाग, हि0प्र0 शिमला-2.
12. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)

25/4/12

(डॉ0 एस0के0 शाद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
फैक्स/दूरभाष-0177-2621698

-2-

संख्याः पीएलजी;(एफ)आरडीपी/5-12/05-वीकेवीएनवाई
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

उपायुक्त,
जिला सिरमौर स्थित नाहन,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला-2 27th अगस्त, 2014

विषयः- दिशा-निर्देश जारी करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्याः पी0एल0जी0-एस.आर.एम(एमएलए-शिलाई)/2014-15-94482 दिनांक 28 जुलाई, 2014 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा निर्देशों में शव वाहन क्रय करने का प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलैंस क्रय करने का प्रावधान इस शर्त के साथ है कि उस पर होने वाले आवर्ती व्यय के लिए सम्बन्धित संस्था/विभाग के पास पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध हो।

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में सरकारी एवं निजी भागेदारी में एम्बुलैंस खरीदने का प्रावधान है परन्तु इसके लिए सरकार की तरफ से रख-रखाव अंशदान का कोई भी प्रावधान नहीं होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही करें।

भवदीय,

(डॉ0 अमनदीप गर्ग, भा.प्र.से.)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
फैक्स/दूरभाष-0177-2621698

संख्या: पी एल जी (एफ) 1-2/99-2000 "वि. क्षे. वि. नि. यो.
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

प्रधान सलाहकार (योजना)
हि0 प्र0, शिमला-2

प्रेषित

समस्त
उपायुक्त

दिनांक : शिमला-2, 2nd जून, 2000

विषय : विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14-1-2000 तथा उसके निरन्तरीकरण में दिनांक 29-3-2000 के संदर्भ में कार्यक्रम "विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देश के पैरा 2.1 में निहित मद संख्या-12 के अन्तर्गत पाठशालाओं में शौचालयों का निर्माण कार्य के अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालयों और स्नान-गृहों का निर्माण कार्य बस अड्डों आदि स्थानों पर भी करवाया जा सकता है ।

2. अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार अपने स्तर पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार (योजना)
हि0 प्र0, शिमला-2

पृ0 सं0 यथोपरि दिनांक शिमला-2, 2nd जून, 2000

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, हि0 प्र0, शिमला-2
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, विधान सभा, हि0 प्र0, शिमला-3
3. निजी सचिव मा0------------------------मंत्री, हि0 प्र0, शिमला-2
4. निजी सचिव मा0 राज्य मंत्री----------------------हि0 प्र0 शिमला-2
5. निजी सचिव मा0 उपाध्यक्ष, हि0 प्र0 वि0 स0 शिमला-3
6. निजी सचिव संसदीय सचिव ( ) हि0 प्र0 शिमला-2
7. श्री-----------------------------मा0 विधायक----------------हि0 प्र0
8. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0रा0पथ परिवहन निगम, शिमला-3 को उनके पत्र दिनांक 8 मई, 2000 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
9. संयुक्त निदेशक (P) योजना विभाग, हि0 प्र0 शिमला-2.

प्रधान सलाहकार (योजना)
हि0 प्र0, शिमला-2

-4-

अति–आवश्यक

संख्याःपी.एल.जी.(एफ.)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो.
हिमाचल प्रदेश सरकार
"योजना विभाग"

प्रेषक

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला–2, 4/15 नवम्बर, 2004.

विषयः– विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या : पीएलजी (एफ) (आरडीपी) 1–1/2000– वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 14 मई,2004 के निरन्तरीकरण में कार्यक्रम "विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा –निर्देश के पैरा 2.1 में निहित 12 मदों के इलावा निम्न स्कीम को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

13. Electrification of Left Out Houses in Remote/ Rural Areas (LT Extensions).

2. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2, 4/15 नवम्बर, 2004.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –2.
4. सचिव, माननीय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला –2.
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला–4.
6. निजी सचिव,माननीय मन्त्री, हि0प्र0,शिमला–2.
7. निजी सचिव, माननीय मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला–2.
8. समस्त माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति

9. महालेखाकार([illegible]), हिमाचल प्रदेश,शिमला–3.

10. अवर सचिव (वित–बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2.

11. अवर सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

12. समस्त जिला योजना अधिकारी/ साख योजना अधिकारी, जिला योजना कक्ष, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) ।

13. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश एवं राजधानी कोष, हि0प्र0, शिमला–2.

14. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, योजना विभाग, हि0प्र0 शिमला–2.

15. रक्षक नस्ति ।

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

अति–आवश्यक

संख्याःपी.एल.जी.(एफ.)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो.
हिमाचल प्रदेश सरकार
"योजना विभाग"

प्रेषक

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला–2, 3 मार्च, 2005.

विषयः– विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या : पीएलजी (एफ) (आरडीपी) 1–1/2000– वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 14 मई,2004 व 4. नवम्बर, 2004 के निरन्तरीकरण में कार्यक्रम "विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा –निर्देश के पैरा 2.1 में निहित 13 प्रकार के कार्यो जिनकी स्वीकृति इस कार्यक्रम में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है के अतिरिक्त 14वें कम में "स्कूल भवनों की मुरम्मत तथा स्कूल के खेल मैदानों का निर्माण कार्य" को भी सम्मिलित करने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन था जिस पर इसे इस सूची में 14वें स्थान पर सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2, 3 मार्च, 2005.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
4. सचिव, माननीय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला –2.
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा,शिमला–4.
6. निजी सचिव,माननीय.......................................मन्त्री,हि0प्र0,शिमला–2.
7. निजी सचिव, माननीय मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0, शिमला–2.
8. समस्त माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति....................................
   ....
9. महालेखाकार(आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला–3.
10. अवर सचिव (वित–बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2.
11. अवर सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
12. समस्त जिला योजना अधिकारी/ साख योजना अधिकारी, जिला योजना कक्ष, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) ।
13. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश एवं राजधानी कोष, हि0प्र0, शिमला–2.
14. रक्षक नस्ति ।

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

51 अति–आवश्यक

संख्याःपी.एल.जी.(एफ.)–आरडीपी/5–12/05–वि.क्षे.वि.नि.यो.
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।
(जिला किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति को छोड़कर)

दिनांक : शिमला–2, 25 अप्रैल, 2012.

विषयः– **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश ।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्याः पी.एल.जी.(एफ)–आरडीपी/1–1/2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 14 मई, 2004 के द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा–निर्देशों के पैरा संख्याः1.1(ख) व पैरा संख्याः 2.1 में निम्न संशोधन किया गया है :–

1. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत माननीय विधायक जिले में कहीं भी स्कीमों की संस्तुति कर सकते हैं ।

2. विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सभी माननीय विधायक पंचायतों तथा शहरी निकायों में व्यायामशाला के निर्माण कार्य की संस्तुति भी कर सकते हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

25/4/2012

(डॉ0 एस0के0 शाद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
फैक्स/दूरभाष–0177–2621698

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 25 अप्रैल, 2012.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय मन्त्री,हि0प्र0 ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
4. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
5. प्रधान महालेखाकार(आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
6. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना)हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
7. निजी सचिव, सचिव (योजना एवं वित्त) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
8. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
9. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
10. उप सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
11. समस्त उप निदेशक, योजना विभाग, हि0प्र0 शिमला-2.
12. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)

(डॉ0 एस0के0 शाद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
फैक्स/दूरभाष-0177-2621698

331

अति आवश्यक

संख्याःपी.एल.जी.एफ/आर.डी.पी5–/12/05–वि0क्षे0वि0नि0यो0

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना),
हिमाचल प्रदेश,शिमला–2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला–2 5th मई,2015

विषयः विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्या पी.एल.जी.(एफ)/आर.डी.पी.1–1/2000–वि0क्षे.वि0नि0यो0 दिनांक 14 मई, 2004, पी.एल.जी.(एफ)1–2/99–2000 वि0क्षे.वि0नि0यो0 दिनांक 4 नवम्बर, 2004, 3मार्च,2005 व पत्र सं0 पी.एल.जी.(एफ)/आर.डी.पी. 5–12/05 वीकेवीएनवाई दिनांक 19 जून,2012 के निरन्तरीकरण में कार्यक्रम विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अर्न्तगत जारी किए गए दिशा–निर्देशों के पैरा 2.1 मे निहित कार्यो के अतिरिक्त सरकार द्वारा "Construction / Maintenance of Bus Stands" को भी विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से, अब माननीय विधायक "विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" के अन्तर्गत बस स्टैंड निर्माण व रख–रखाव हेतु कार्यो की सिफारिश भी कर सकते हैं।

भवदीय,

सलाहकार (योजना),
हिमाचल प्रदेश,
शिमला–2

पृ0 सं0 यथोपरि दिनांकः शिमला 5th मई,2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,माननीय मुख्य मंत्री,हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2. निजी सचिव,माननीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश,शिमला–2
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,हिमाचल प्रदेश, विधानसभा, शिमला–4

.2.

-332-

4. निजी सचिव,मुख्य संसदीय सचिव, हिमाचल प्रदेश,शिमला–2
5. माननीय विधायक श्री/ श्रीमति...
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार, को उनके पत्र संख्या एस.पी.एस./ए.सी.एस.(टी.पी.पी)–विविध/2015 दिनांक 30.3.2015 के सन्दर्भ में ।
7. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
8. समस्त विभागाध्यक्ष,हिमाचल प्रदेश।
9. प्रधान महालेखाकार (आडिट),हिमाचल प्रदेश,शिमला–3
10. विशेष सचिव(वित्त बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
11. संयुक्त सचिव(योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2
12. संयुक्त निदेशक/समस्त उप–निदेशक, योजना विभाग,शिमला–2
13. समस्त जिला योजना अधिकारी,हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)
14. समस्त जिला कोषाधिकारी,हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)
15. रक्षक नस्ति।

सलाहकार (योजना),
हिमाचल प्रदेश,
शिमला–2

-11-

अति–आवश्यक

संख्याः पीएलजी;(एफ)आरडीपी/5-12/05-वीकेवीएनवाई
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकःशिमला-2 4 जुलाई, 2015.

विषयः– **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना–सरकारी भवनों की मुरम्मत बारे दिशानिर्देशों में संशोधन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय पत्र संख्याः पीएलजी;(एफ)(आरडीपी) 1-1/2000-वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 14 मई 2004, 4 नवम्बर.2001, 3 मार्च, 2005, 19 जून,2012 व 5 मई,2015 के निरन्तरीकरण में ''विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना'' के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा निर्देश के पैरा 2.1 में निहित कार्यो के अतिरिक्त ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में **सरकारी भवनों की मुरम्मत जैसे कि सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक भवन,शैक्षणिक संस्थान इत्यादि** के लिए भी माननीय विधायक धनराशि स्वीकृत कर सकेंगे ।

भवदीय,

(अक्षय सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 4 जुलाई, 2015.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय.. मन्त्री,हि0प्र0 शिमला-2
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4
4. निजी सचिव, मानीय संसदीय सचिव.............................. हि0प्र0 शिमला-2
5. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....

माननीय विधायक गण से अनुरोध है कि सरकारी भवनों की मुरम्मत सम्बन्धी सिफारिश / प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु जिलाधीशों को भेजने की कृपा करें

6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।

संख्याःपीएलजी(एफ)आरडीपी5–1/16–वि0स0 1–1/2013
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला –2 18 अप्रैल,2016

विषयः **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यन्वयन के लिए दिशा–निर्देश ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र संख्याः पीएलजी (एफ)(आरडीपी)1–1/2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 14 मई 2004, संख्याःपीएलजी(एफ)1–2/99–2000–वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 4 नवम्बर, 2004, 3 मार्च, 2005, 19 जून, 2012, 5 मई, 2015 व 4 जुलाई, 2015 के निरन्तरीकरण में 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा–निर्देशों के पैरा 2.1 में निहित 17 कार्यो के अतिरिक्त सरकार ने 18वें क्रम में **'ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मुरम्मत व रख–रखाव'** को विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सम्मलित करने का निर्णय लिया है ।

अतः अब माननीय विधायक 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के अन्तर्गत सड़कों की मुरम्मत व रख–रखाव हेतु धनराशि स्वीकृत कर सकेंगे ।

भवदीय,

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला–2, 18 अप्रैल 2016.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
2. निजी सचिव, माननीय..मन्त्री,हि0प्र0 ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला–4.

4. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....
....

5. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
7. प्रधान महालेखाकार(आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला–3.
8. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव (वित्त एवं योजना)हि0प्र0 सरकार, शिमला–2.
9. वरिष्ठ उप–महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला–3.
10. विशेष सचिव (वित–बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–2.
11. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) ।
12. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) ।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

संख्याःपीएलजी(एफ) आरडीपी/5-1/2016-17 विकेविएनवाई-गाइडलाईनज़-2016
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला-2, 17 सितम्बर, 2016.

विषयः- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित **(Consolidates)** दिशा-निर्देश-2016 ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2016 के निरन्तरीकरण में "विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" के अन्तर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 में निहित 19 मद्दों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान (मद्-20) को भी सम्मलित करने का निर्णय लिया गया हैः-

मद्-20 विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सामुदायिक **WiFi** लगाने का प्रावधान **(Non-recurring expenditure).**

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(अक्षय सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

P.T.O

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला-2, 17 सितम्बर, 2016.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
2. निजी सचिव, माननीय मन्त्री,हि0प्र0 ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4 को सूचनार्थ ।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य संसदीय सचिव, हि0प्र0 ।
5. समस्त माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....हि0प्र0 को सूचनार्थ ।
6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, सरकार शिमला-2
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
8. प्रधान महालेखाकार(आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3 ।
9. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3 ।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त एवं योजना)हि0प्र0 सरकार, शिमला-2
11. विशेष सचिव (वित्त /बजट), हि0प्र0 सरकार, शिमला-2
12. उप-निदेशक (जन-जातीय विभाग)हि0प्र0, शिमला-2
13. समस्त जिला योजना अधिकारी/साख योजना अधिकारी जिला योजना कक्ष (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश एवं राजधानी कोष हि. प्र. शिमला-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।
15. कार्यक्रम अधिकारी (PO), योजना विभाग, हि0प्र0, शिमला को दिशा -निर्देशों का Updated set विभाग की website पर upload करने हेतू ।
16. रक्षक नस्ति ।

(अक्षय सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

आवश्यक

संख्याः पीएलजी;(एफ)आरडीपी/5-1/2016-17-गाईडलाईन-2016
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकःशिमला-2 8 मई, 2017.

विषयः- **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित दिशानिर्देश-2016.**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12-07-2016 के निरन्तरीकरण में **''विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना''** के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा निर्देशों के पैरा 2.1 में निहित 18 मद्दों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान (मद्-19) को भी सम्मलित करने का निर्णय लिया गया है।

माननीय विधायक इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के साथ-साथ अन्य लोक कल्याणकारी योजनाऐं जैसे कि स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, स्कूलों में खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर तथा कम्बल, जल वितरण में मोटर पम्पों को बदलना, महिला मण्डलों को बर्तन तथा फर्नीचर क्रय करने हेतु अनुदान (अधिकतम 20,000/- रूपये प्रति महिला मण्डल) आदि को स्वीकृत करने हेतु आवश्यक अनुशंसा भी कर सकेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

फ़ा सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

-17

पृ0संख्या: यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 8 मई, 2017.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय.. मन्त्री,हि0प्र0 शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
4. निजी सचिव, मानीय संसदीय सचिव.............................. हि0प्र0 शिमला-2.
5. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
   ....
   ....
6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
9. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
10. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
11. उप-निदेशक, जन जातीय विकास विभाग शिमला-2.
12. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
13. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. गार्ड नस्ति।

(signature)

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

नामला

मी क

संख्याःपी.एल.जी.(एफ)/आरडीपी 5-12/05-वि.क्षे.वि.नि.यो.-लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
"योजना विभाग"

प्रेषक

प्रधान सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला-2, 28 जनवरी, 2009.

विषयः- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्याः पीएलजी (एफ) (आरडीपी) 1-1/2000 -वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 14 मई, 2004, पत्र संख्या पीएलजी (एफ) 1-2/99-2000 -वि.क्षे.वि.नि.यो. दिनांक 4 नवम्बर, 2004, 3 मार्च,2005 तथा सम सख्यक पत्र दिनांक 29 नवम्बर,2008 के निरन्तरीकरण में कार्यकम **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देश के मद- 3 **"योजना के कार्यान्वयन की व्यवस्था"** के पैरा 3.1 में स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों तथा पंचायतों/नगर पंचायतों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं को भी निम्न शर्तो के साथ शामिल किया जाता है :-

1. स्वयंसेवी संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
2. स्वयंसेवी संस्था का स्कीमों के निर्माण में अनुभव होना चाहिए।
3. स्वयंसेवी संस्था द्वारा किए गए कार्यो का विकास खण्डों में नियुक्त अभियन्तों द्वारा assessment के आधार पर धनराशि जारी की जाए।
4. सभी जिलाधीश स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन हेतु अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रधान सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 28 जनवरी, 2009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
4. सचिव, महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला -2.
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा,शिमला-4.
6. निजी सचिव,माननीय.......................................मन्त्री,हि0प्र0,शिमला-2.
7. समस्त माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति....................................
....
8. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
9. उप-सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
10. अवर सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
11. समस्त जिला योजना अधिकारी/ साख योजना अधिकारी, जिला योजना कक्ष, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल- स्पिति को छोड़कर) ।
12. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश एवं राजधानी कोष,हि0प्र0,शिमला-2.
13. संयुक्त निदेशक/समस्त उप-निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, योजना विभाग, शिमला-2
14. रक्षक नस्ति ।

प्रधान सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

आवश्यक
निजि ध्यानार्थ

संख्याः पी.एल.जी. (एफ.) 1-2/99-2000-VKVNY-I
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक
प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

प्रेषित
उपायुक्त शिमला,
जिला शिमला, हि० प्र० ।

दिनांक : शिमला-2, 9 दिसम्बर, 2003.

विषयः- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्याः एसएमएल-पीएलजी-1(57)/2000-1-3306 दिनांक 3नवम्बर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पतियों में जिस भी समुदाय/विभाग/बोर्ड/नगरपालिका/नगर पंचायत की भूमि आती है तो यदि कार्यकारी अभिकरण आवश्यक समझे तो सम्बन्धित से यह शपथ पत्र लिया जाए कि उन्हें प्रस्तावित भूमि पर परिसम्पति निर्माण पर किसी प्रकार की आपति नहीं है और परिसम्पति हर प्रकार से सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगी तथा इसका स्वामित्व परियोजना कार्यन्वयन से पहले राज्य सरकार के नाम स्थानान्तरित होना आवश्यक है । विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले विकास कार्यो हेतु किसी भी प्रकार का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

12/12

पृ०संख्याः यथोपरि- दिनांक 9 दिसम्बर, 2003. प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में समरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रधान सचिव (जन जातीय), हि०प्र० सरकार, शिमला-2.
2. समस्त उपायुक्त (उपायुक्त शिमला को छोड़कर), हि०प्र०
3. सहायक आयुक्त, जन जातीय विकास विभाग, मिनी सचिवालय हि०प्र० शिमला-2.

(हस्ताक्षर)
प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

उपायुक्त ऊना,
जिला ऊना, हि० प्र०

कार्यालय उपायुक्त ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)
पृष्ठांकन 1581-92/योजना दिनांक 22/12/03

1529

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. अधीक्षण अभियन्ता।
2. [illegible]
3. [illegible] /विभाग/ पंचायत/ नगर [illegible]

आवश्यक

संख्याः पीएलजी (एफ)आरडीपी/5-1/2016-17-गाईडलाईन-2016
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग,

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकःशिमला-2 24/25 मई, 2017.

विषयः- विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित (Consolidated) दिशा-निर्देश-2016.

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12-07-2016 के निरन्तरीकरण में "विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना" के अन्तर्गत जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 3.4 में सरकार द्वारा संशोधन करके इस योजना के अन्तर्गत चालू निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की 30 % सीमा को हटाने का निर्णय लिया है।

अतः विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित (Consolidated) दिशा-निर्देश-2016 के क्रम संख्या 3 के पैरा 3.4 में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किया गया हैः-

यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चालू निर्माणाधीन कार्य (Ongoing work) स्वीकृत धनराशि से पूर्ण नही होता है और कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग कार्यकारी अभिकरण द्वारा की जाती है, तो उस अवस्था में; सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर, कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति, उपायुक्त द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिए आबंटित की गई धनराशि में से ही प्रदान की जा सकती है।

कार्यकारी अभिकरण द्वारा चालू निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण करने के लिए मांग की गई आधिक्य धनराशि का संशोधित अनुमान लागत प्राक्कलन तैयार करके मामला पूर्ण औचित्य सहित सम्बन्धित उपायुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांकः शिमला-2, 24 मई, 2017.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
2. निजी सचिव, माननीय.. मन्त्री,हि0प्र0 शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4.
4. निजी सचिव, मानीय संसदीय सचिव............................... हि0प्र0 शिमला-2.
5. माननीय विधायक/विधायिका श्री/श्रीमति ....
....
....
6. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3.
9. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना) हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.
10. विशेष सचिव (वित-बजट), हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला-2.
11. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या जीएडी-सी(डी)5-1/2015 -लूज़ दिनांक 29 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. उप-निदेशक, जन जातीय विकास विभाग शिमला-2.
13. समस्त जिला योजना अधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
14. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर)।
15. गार्ड नस्ति।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

304

Important

No. PLG (F) –RDP/5-12/05-VKVNY
Government of Himachal Pradesh
Planning Department

From

Adviser (Planning)
Himachal Pradesh, Shimla-2.

To

All Deputy Commissioners
Himachal Pradesh

Dated Shimla-2 the 11th March, 2015.

Subject:- Regarding sanctioning of pending unspent funds under Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana.

Sir/Madam,

In partial modification of this department letter No. PLG (F) RDP/5-02/09-VMJS –Chamba dated 10th July, 2014 regarding sanctioning of pending unspent funds under Vidhayak Kshetra Vikas Nidhi Yojana (VKVNY), it has been decided that if a scheme sanctioned by the former MLA could not be started, then a new scheme may be proposed in place of the earlier scheme by the present MLA, in whose constituency, the area of the earlier scheme is presently situated so as to utilize the unspent funds sanctioned by the MLA of the earlier Vidhan Sabha.

Yours faithfully,

Adviser (Planning)
Himachal Pradesh, Shimla-2

Endst. No. as above Dated Shimla-2 the 11th March, 2015.

Copy is forwarded for information and necessary action:-

1. Addl.Chief Secretary (Tribal Department) to the Government of Himachal Pradesh Shimla-2
2. All the District Planning Officers (Except Kinnaur and Lahaul & Spiti).

Adviser (Planning)
Himachal Pradesh, Shimla-2

हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

प्रेषित

1. समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

2. आयुक्त एवं प्रधान सचिव (जन जातीय विभाग)
हि0प्र0 सरकार, शिमला-2.

दिनांक : शिमला-2, 22 मई, 2004.

विषयः विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वर्तमान में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक/निर्वाचन क्षेत्र को 24.00 लाख रुपए का चिन्हांकन किया जा रहा है परन्तु प्रायः यह देखने में आया कि जिला प्रशासन आबंटित धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में नहीं कर रहा है जिसके अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की गई थी । इस सम्बन्ध में मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन चल रहा था। अब निर्णय लिया गया है कि जिला प्रशासन को भविष्य में यह सुनिश्चित करना होगा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग कर लें जिसके अन्तर्गत यह धनराशि जिला प्रशासन को आबंटित की जाती है । यदि किन्हीं कारणों से जिला प्रशासन इस धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में व्यय करने में असमर्थ रहता है तो बकाया धनराशि को सरकारी कोष में जमा करवाना होगा ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.